रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2011/फाल्गुन 26, 1932

No. 51] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2011/PHALGUNA 26, 1932

भारतीय बीमांकक संस्थान

अधिसूचना

मुम्बई, 25 फरवरी, 2011

फा. सं. एम 18012/03/2008-बीमा-III.—कतिपय विनियमों का प्रारूप विनियम, जो भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4, तारीख 31 जुलाई-6 अगस्त, 2010 को प्रकाशित किए गए थे और भारतीय बीमांकक संस्थान की अधिसूचना सं. एम-19012/03/2008-बीमा-III की तारीख अक्तूबर 9, अक्तूबर 15, 2010 के शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अत: अब, भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमांकक संस्थान (परिषद् की अधिवेशनों में कारबार संव्यवहार) विनियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "परिषद्" से संस्थान की परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "संस्थान" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय बीमांकक संस्थान अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. परिषद् के अधिवेशन.—परिषद् प्रत्येक वर्ष में कम से कम चार बार ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन करेगी जो अध्यक्ष विनिश्चित करें :

परन्तु दो अधिवेशनों के बीच का समयान्तर एक सौ बीस दिन से अधिक नहीं होगा ।

4. परिषद् का विशेष अधिवेशन.—(1) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष किसी भी समय परिषद् का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा ।

(2) परिषद् का विशेष अधिवेशन तत्समय परिषद् के एक चौथाई से अन्यून सदस्यों द्वारा सचिव को लिखित में भेजे गए अनुरोध पर किसी भी समय बुलाया जा सकेगा :

परंतु इस उपविनियम में निर्दिष्ट विशेष अधिवेशन ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर बुलाया जाएगा ।

(3) उपविनियम (2) में निर्दिष्ट अनुरोध उस विचारार्थ कारबार का, जिसका विशेष अधिवेशन बुलाया जाना है, एक विवरण उपवर्णित करेगा और यह ऐसे विशेष अधिवेशन की कार्य सूची होगी :

परंतु इस प्रकार बुलाए गए विशेष अधिवेशन में, कार्य सूची में उल्लिखित कारबारों से भिन्न कोई कारबार नहीं किया जाएगा ।

5. परिषद् के अधिवेशन की सूचना- (1) अधिवेशन के समय और स्थान की सूचना परिषद् के प्रत्येक सदस्य के रजिस्ट्रीकृत पते पर या तो प्रमाणित डाक के अधीन या इलेक्ट्रोनिक रूप से डाक द्वारा ऐसे अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पहले भेजी जाएगी और ऐसी सूचना में अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने वाले कारबार का विवरण अंतर्विष्ट होगा ।

(2) परिषद्, विशेष अधिवेशन से भिन्न अपने किसी अधिवेशन में, यदि परिषद् के दो तिहाई सदस्य अधिवेशन में उपस्थित हैं तो अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची में वर्णित कारबार से भिन्न ऐसे कारबार पर, जिसकी परिषद् के सदस्यों को पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, विचार कर सकेगी ।

(3) परिषद् के बुलाए गए अधिवेशन में विचार किए गए किसी मद पर परिषद् के किसी विनिश्चय की विधिमान्यता को केवल इस कारण से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उक्त मद की सूचना उन सदस्यों को नहीं दी गई थी जिन्होंने उक्त अधिवेशन में भाग नहीं लिया था ।

6. बैठक का अध्यक्ष- अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में, विद्यमान सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य परिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

7. बैठक की गणपूर्ति - (1) परिषद् के कुल सदस्यों के एक बटा चार सदस्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति का गठन करेंगे ।

(2) यदि, अधिवेशन के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन ऐसे समय, तारीख और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जो बैठक का अध्यक्ष नियत करे ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन स्थगित अधिवेशन के लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।

8. अधिवेशन का स्थगन-(1) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिषद् के अधिवेशन का अध्यक्ष, अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ऐसे समय और स्थान के लिए जो वह विनिश्चित करे, अधिवेशन स्थगित कर सकेगा और ऐसे अधिवेशन में छोड़े गए अधूरे कार्यों से भिन्न कोई कार्य किसी स्थगित अधिवेशन में नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी आस्थगित अधिवेशन की कोई सूचना तब तक नहीं दी जाएगी जब तक आस्थगन के लिए संकल्प द्वारा ऐसा कोई निदेश न दिया जाए ।

9. कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया- (1) परिषद् का कार्य सामान्यतः परिषद् के अधिवेशन में किया जाएगा ।

(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समुचित मामले में, किसी प्रश्न के विनिश्चय के लिए परिषद के सदस्यों को सा सुसंगत कागजपत्रों सहित संकल्प का परिचालन करवा सकेगा :

परंतु यदि परिषद के एक चौथाई सदस्य यह अपेक्षा करते हैं कि परिचालित किया गया किसी संकल्प का अधिवेशन में विनिश्चय किया जाए तो यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष परिचालनसे सुसंगत कागजपत्रों सहित संकल्प को वापस ले लेगा और परिषद् के अधिवेशन में संकल्प पर विचार कराएगा ।

(3) जहां किसी प्रश्न से संबंधित संकल्प सदस्यों में परिचालित किया जाता है, वहां ऐसे संकल्प के परिचालन की तारीख से आरंभ होने वाली पंद्रह दिन से अन्यून की अवधि इस प्रश्न पर कोई विनिश्चय किए जाने पूर्व व्यपगत हो जाएगी ।

परंतु कोई विनिश्चय ऐसी अवधि की समाप्ति से पूर्व किया जा सकेगा, यदि तत्समय पदासीन परिषद् के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की राय कार्यालय को पहले प्राप्त हो जाती है ।

(4) सभी सुसंगत कागजपत्रों सहित संकल्प का परिचालन परिषद् के सभी सदस्यों को या तो इलेक्ट्रोनिक ढंग से या प्रमाणित डाक के अधीन डाक द्वारा भेजा जा सकेगा ।

(5) परिचालन द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प परिषद के सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा और परिषद् के अगले अधिवेशन में नोट किया जाएगा ।

10. अधिवेशन का विनिश्चय- परिषद् के अधिवेशन में, विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में ऐसे अधिवेशन के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा ।

11. परिषद के अधिवेशन का कार्यवृत्त- (1) परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन का कार्यवृत्त सचिव द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, और सचिव की अनुपस्थिति में, कार्यवृत्त परिषद् के ऐसे अन्य सदस्य द्वारा, जैसा अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए, अभिलिखित किया जाए ।

(2) ऐसे अधिवेशन का कार्यवृत्त सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने और अगले अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाहियों का पर्याप्त साक्ष्य होगा ।

गुरूराज नायक, प्रशासकीय अधिकारी

[विज्ञापन III/4/69-जेड आई/10/असा.]

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th February, 2011

F. No. M-18012/03/2008-Ins.III.—Whereas, the draft of certain regulations were published in the Gazette of India, in Part III-Section 4 dated July 31 – August 6, 2010 and corrigendum dated October 9 – October, 15, 2010 published *vide* No. M-19012/03/2008-Ins.III notification of Institute of Actuaries of India, Mumbai inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India, in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas, no objection and suggestions have been received from the public.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 56 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Council of the Institute of Actuaries of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Institute of Actuaries of India (Transaction of Business at meetings of council) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(f) "Act" means the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006);

(g) "Council" means the Council of the Institute;

(c) "Institute" means the Institute of Actuaries of India constituted under section 3 of the Act;

(d) "President" means the President of the Council;

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Meetings of council.- The Council shall meet at least four times in every year at such time and place as the President may decide:

Provided that the time gap between two meetings shall not exceed one hundred twenty days.

4. Special meeting of council.- (1) The President or in his absence the Vice-President may, at any time, call a special meeting of the Council.

(2) A special meeting of the Council may at any time be called at the request in writing addressed to the Secretary by not less than one-fourth of the members of the Council for the time being:

Provided that a special meeting referred to in this sub-regulation shall be called within forty-five days of the date of the receipt of the such request.

(3) The request referred to in sub-regulation (2) shall set out a statement of the business for consideration of which the special meeting is to be called and shall be the agenda of such special meeting:

Provided that in a special meeting so called no business, other than those mentioned in the agenda shall be transacted.

5. Notice of meeting of Council.- A notice of the time and place of a meeting shall be sent to the registered address of every member of the Council, either by post under certificate of posting or electronically, not less than seven days before the date of such meeting and such notice shall contain a statement of the business to be transacted at the meeting.

(2) The Council may in any of its meeting, other than a special meeting, consider any business other than those mentioned in the agenda, with the permission of the Chairman of which no prior notice had been given to the members of the Council, if at least two- third of the members of the Council are present at the meeting.

(3) The validity of any decision of the Council on any item considered at a validly convened meeting of the Council shall not be called in question merely because notice of the said item had not been given to the members who did not attend the said meeting.

6. Chairman of meeting.- The President or in his absence, the Vice-President, or in absence of both, a member elected from amongst the members present, shall preside over the meeting of the Council.

7. Quorum at meeting. - (1) One-fourth of the total members of the Council shall constitute the quorum for a meeting of the Council.

(2) If, the quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the meeting shall stand adjourned to such time, date and place as the Chairman of the meeting may appoint.

(3) No quorum shall be required for the meeting adjourned under sub-regulation (2)

8. Adjournment of meeting.- (1) Subject to the provisions of these regulations, the Chairman of a meeting of the Council, may, with the consent of majority of members present at a meeting, adjourn the meeting from time to such time and place as he may decided and no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at such meeting.

(3) No notice may be given of an adjourned meeting, unless it is so directed by the resolution for adjournment.

9. Procedure for transaction of business.- (1) The business of the Council shall ordinarily be transacted at a meeting of the Council.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the President, or in his absence the Vice-President, may, in an appropriate case, circulate a resolution along with all relevant papers to the members of the Council for decision of any question.

Provided that if one-fourth of the members of Council require that any resolution circulated be decided at a meeting, the President, or the Vice-President, as the case may be, shall withdraw the resolution along with the relevant papers from circulation and have the resolution considered at a meeting of the Council.

(3) Where the resolution relating to any question are circulated among the members, a period of not less than fifteen days, commencing from the date of circulation of such resolution shall elapse before any decision is taken on the question:

Provided that a decision may be taken before the expiry of such period if the opinion of not less than three fourth of the members of the Council of the time being in office is received earlier.

(4) The circulation of resolution along with all relevant papers may be sent to members of the Council either in electronic mode or by post under certificate of posting.

(5) Every resolution passed by circulation shall be communicated to all the members of the Council and shall be noted at the next meeting of the Council.

10. **Decision in a meeting.-** At a meeting of the Council, the decision shall be taken by a majority of votes of members present and in case of equality of votes, the Chairman of such meeting shall have a casting vote.

11. **Minutes of Council Meetings.-** (1) The minutes of every meeting of the Council shall be recorded by the Secretary, and in the absence of the Secretary, the minutes shall be recorded by such other member of the Council as may be decided by the Chairman of the meeting.

(2) The minutes of such meetings, after having been approved by the members and signed by the Chairman of the next meeting, shall be sufficient evidence of the proceedings of the meeting.

GURURAJ NAYAK, Administrative Officer

[ADVT. III/4/69-ZI/10/Exty.]

अधिसूचना

मुम्बई, 25 फरवरी, 2011

फा. सं. एम 19012/03/2008-बीमा-III.—कतिपय विनियमों का प्रारूप विनियम, जो भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4, तारीख 31 जुलाई-6 अगस्त, 2010 को प्रकाशित किए गए थे और भारतीय बीमांकक संस्थान की अधिसूचना सं एम-19012/03/2008-बीमा-III की तारीख अक्तूबर 9 अक्तूबर 15, 2010 के शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है ।

अतः अब, भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमांकक संस्थान (रजिस्टर का रखरखाव, सूची का प्रकाशन और रजिस्टर में सदस्यों के नामों की पुनःप्रविष्टि) विनियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं-(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) अभिप्रेत है ;

(ख) "परिषद्" से संस्थान की परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) "प्रारूप" से इन विनियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है ;

(घ) "संस्थान" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय बीमांकक संस्थान अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्यों की सूची" से इन विनियमों के अधीन प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को संस्थान द्वारा प्रकाशित सदस्यों की सूची अभिप्रेत है ;

(च) "रजिस्टर" से संस्था द्वारा पोषित सदस्यों का रजिस्टर अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे हो उनके अधिनियम में है ।

3. रजिस्टर में प्रविष्टि--(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे ।

(2) कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिकथित अपनी पात्रता पूरी करने और अन्य शर्तों तथा इस निमित्त संस्थान द्वारा तदधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करवाने के लिए हकदार होगा ।

4. रजिस्टर का रखरखाव :--

(1) परिषद् प्ररूप में संस्थान के सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगा ।

(2) रजिस्टर में अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संस्थान के प्रत्येक सदस्य की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी ।

(3) रजिस्टर साफ्ट प्ररूप में अंकीय रूप से रखा जाएगा जिसमें रजिस्टर में भंडारित आंकड़ों और विशिष्टियों की संरक्षा के लिए और परिषद् के समाधानप्रद रूप में उसमें अंतर्विष्ट जानकारी के उचित अद्यतन, भंडारण तथा सुधार के लिए पर्याप्त अंतनिर्मित सुरक्षा विशेषताएं होंगी ।

(4) रजिस्टर को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा जिससे उसमें सदस्यों के पते, टेलीफोन नम्बर, ई-मेल पहचान में परिवर्तन तथा रजिस्टर में अंतर्विष्ट सदस्यों की बाबत ऐसी अन्य जानकारी को परिलक्षित किया जा सके ।

(5) सदस्य, संस्थान को रजिस्टर में अंतर्विष्ट अपनी विशिष्टियों के किसी भी परिवर्तन को सूचित करेगा और ऐसी जानकारी की प्राप्ति पर, परिषद्, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर रजिस्टर की विशिष्टियों को अद्यतन कराएगी ।

परंतु किसी परिवर्तन को अद्यतन करने में हुई कोई आकस्मिक या अवधानता, कोई त्रुटि या चूक रजिस्टर को अविधिमान्य नहीं करेगी ।

5. सदस्यों की सूची का प्रकाशन :-

(1) परिषद्, प्रत्येक वर्ष आगामी 30 जून को या उसके पूर्व 1 अप्रैल को यथाविद्यमान सदस्यों एक सूची प्रकाशित करेगी ।

(2) सदस्यों की सूची संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

(3) सदस्यों की सूची में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :-

(क) सदस्य का नाम

(ख) सदस्य की अर्हता

(ग) सदस्यता प्रास्थिति (अध्येता या अवैतनिक अध्येता या सहयुक्त)

(घ) सदस्यता प्रास्थिति प्राप्त करने का वर्ष

(ङ) सदस्यता संख्या

(च) अभिलेख पर यथा विद्यमान पत्र व्यवहार का पता और संपर्क ब्यौरे (जिनके अंतर्गत टेलीफोन और मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी भी है)

(4) यदि कोई सदस्य, सदस्यों की सूची की प्रति के लिए लिखित में अनुरोध करता है तो वह उसे दो हजार पांच सौ रुपए से अनधिक ऐसी रकम, को परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, के संदाय पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

(5) सदस्यों की सूची की एक प्रति लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर दो सौ पचास रुपए से अनधिक की ऐसी रकम, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, के संदाय पर डिस्केट की फ्लापी में सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी ।

5. **वार्षिक सदस्यता फीस** :- सदस्यों द्वारा संदेय वार्षिक सदस्यता फीस प्रतिवर्ष दस हजार रुपए से अनधिक की ऐसी रकम होगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए :

परंतु ऐसे सदस्यों द्वारा, जिनका रजिस्टर में पत्र व्यवहार का पता भारत से बाहर का है, संदेय वार्षिक सदस्यता फीस सयुक्त राज्य के चार सौ डालर प्रतिवर्ष से अनधिक की ऐसी रकम होगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

6. **सदस्यों के नाम में पुनःप्रविष्टि** :- (1) परिषद् आदेश द्वारा, किसी ऐसे सदस्य का नाम पुनःप्रविष्ट कर सकेगी जिसका नाम इस विनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों और अपेक्षाओं का पूरा होने के पश्चात् अधिनियम की धारा 24 के खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट किसी आधार पर, कारणवश रजिस्टर से हटा दिया गया है ।

(2) परिषद् किसी ऐसे सदस्य का, जिसका नाम रजिस्टर से हटाया गया है, यदि वह उप विनियम (3) में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करने के लिए अन्यथा पात्र है, तो ऐसे सदस्य से लिखित में आवेदन पर उसका नाम पुनः प्रविष्ट कर सकेगी ।

परंतु परिषद्, उसका दशा में, जहां किसी सदस्य का नाम अधिनियम की धारा 24 के खंड (ग) के अधीन हटाया था, वहां उसी वर्ष में जिसमें नाम हटाया गया था, सभी बाबत संपूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्टर में ऐसे सदस्य का नाम उस तारीख से जिसको, उसे हटाया गया था, पुनः प्रविष्ट कर सकेगी ।

(3) पुनः प्रविष्टि के लिए संदेय फीस उस वर्ष के लिए वार्षिक अभिदाय की रकम के बराबर होगी जिसके दौरान उसका नाम उस वर्ष के लिए जिसमें नाम हटाया गया था वार्षिक अभिदाय सहित रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया गया है ।

4. (क) जहां ऐसा नाम अधिनियम की धारा 11 के खंड (क) और खंड (घ) के अधीन हटाया गया था वहां परिषद् रजिस्टर में नाम की पुनः प्रविष्टि के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उस मामले को अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट करेगी ।

(ख) परिषद्, खंड (क) में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि वह अनुशासनिक समिति द्वारा उसे सुलझा दिया जाता है और शर्तों के पूरा किए जाने पर तथा ऐसी समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय पर उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर ऐसे सदस्य का नाम रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट करेगी ।

प्ररूप

[विनियम 4(1) देखिए]

भारतीय बीमांकक संस्थान

सदस्यों का रजिस्टर

सदस्य सं.
नाम: प्रथम, मध्य, उपनाम
लिंग : पुरुष/स्त्री
जन्म की तारीख : दिन/मास/वर्ष
निवास का पता :
निवास संसूचना ब्यौरे: टेली : फैक्स : ई-मेल : मोबाइल :
वृत्तिक पता :
वृत्तिक संसूचना ब्यौरे :टेली : फैक्स : ई-मेल :
सदस्यों की सूची में मुद्रित करने के लिए पता : निवास/वृत्तिक
संसूचना के लिए पता: निवास/वृत्तिक
सदस्यता प्रास्थिति : अध्येता / अवैतनिक अध्येता /सहबद्ध
अन्य अर्हताएं :
सदस्य के रूप में प्रवेश की तारीख :
चालू सदस्यता वर्ग में प्रवेश की तारीख :
व्यवसाय प्रमाण पत्र कब तक विधिमान्य है :
व्यवसाय का क्षेत्र :
वर्ष के लिए संदत्त अंतिम अभिदाय : (वर्ष-वर्ष) जैसे 07-08
सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो :
शास्ति की प्रकृति : शास्ति अधिरोपण की तारीख :
अन्य ब्यौरे, यदि कोई हों :

गुरूराज नायक, प्रशासकीय अधिकारी

[विज्ञापन III/4/69-जेड आई/10/असा.]

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th February, 2011

F. No. M-19012/03/2008-Ins.III.—Whereas, the draft of certain regulations were published in the Gazette of India, in Part III-Section 4, dated July 31 – August 6, 2010 and corrigendum dated October 9 – October, 15, 2010 published *vide* No. M-19012/03/2008-Ins.III notification of Institute of Actuaries of India, Mumbai inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India, in which the said notifications was published, were made available to the public;

And, whereas, no objection and suggestions have been received from the public.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (k),(l) and (m) of sub-section (2) of section 56 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Council of the Institute of Actuaries of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement:- (1) These regulations may be called the Institute of Actuaries of India (Maintenance of Register, Publication of List, and Re-entry of names in Register of Members) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(c) "Act" means the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006);

(d) "Council" means the Council of the Institute;

(e) "Form" means a form appended to these regulations;

(d) "Institute" means the Institute of Actuaries of India constituted under section 3 of the Act;

(e) "list of members" means the list of members published by the Institute as on the 1st day of April of each year under these Regulations;

(f) "register" means the register of the members maintained by the Institute.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Entry in the Register:- (1) Subject to the provisions of sub-section (1) of section 3 of the Act, the names of persons referred therein shall be entered in the register.

(2) A person shall be entitled to have his name entered in the register subject to his fulfilling the eligibility and other conditions laid down under section 6 of the Act and regulations made thereunder by the Institute in this behalf.

4. Maintenance of the Register:-

(1) The Council shall maintain a register of the members of the Institute in the Form.

(2) The register shall include the particulars of every member of the Institute referred to in sub-section (2) of section 23 of the Act.

(3) The register shall be maintained digitally in soft form with adequate in built safety features for the protection of the data and particulars stored in the register and for proper updation, storage and retrieval of information contained therein to the satisfaction of the Council.

(4) The Register shall be updated from time to time so as to reflect therein the changes of postal address, telephone number, e-mail identity of the members and such other information in respect of members contained in the register.

(5) A member shall inform the Institute any change of his particulars contained in the register and on receipt of such information, the Council shall cause the updation of particulars in the register within a period of two months from the date of receipt of such information:

Provided that any accidental or inadvertent error or omission to update any change shall not invalidate the register.

5. Publication of List of Members.-

(1) The Council shall publish, each year, a list of members as on the 1st day of April, on or before the following 30th day of June.

(2) The list of members shall be published on the website of the Institute.

(3) The list of members shall contain the following information, namely:-

994 GI/11-4

a. Name of member
b. Qualification of member
c. Membership status (Fellow or Honorary Fellow or Associate)
d. Year of attaining the membership status
e. Membership Number
f. Address for Correspondence and contact details (including particulars of telephone and mobile phone numbers and e-mail ID) as on record.

(4) If any member makes a request in writing for the copy of the list of members, it may be made available to him on payment of such amount, not exceeding two thousand five hundred rupees, as may be determined by the Council from time to time.

(5) A copy of the list of members may be made available to members in floppy of diskette, on receipt of a request in writing and on payment of an amount not exceeding two hundred fifty rupees, as may be determined by the Council from time to time.

5. Annual Membership Fees.-

The annual membership fees payable by members shall be an amount not exceeding ten thousand rupees per annum, as may be determined by the Council from time to time:

Provided that the annual membership fees payable by members having in the register, the address of correspondence outside of India shall be an amount not exceeding United States four hundred dollar per annum, as may be determined by the Council from time to time.

6. Re-entry in register of name of members.-

(1) The Council may, by order, re-enter the name of a member whose name has been removed from the register for reasons on any of the grounds referred to in clauses (b), (c), (d) and (e) of section 24 of the Act after satisfying the conditions and requirements specified in this regulation.

(2) The Council may, on an application in writing from a member whose name has been removed from the register, re-enter his name, if he is otherwise eligible to enter his name in the register on payment of the fee specified in sub regulation (3).

Provided that the Council may, in case where the name of a member was removed under clause (c) of section 24 of the Act, on receipt of an application complete in all respects in the same year in which the name was removed, re-enter the name of such member in the register with effect from the date on which it was removed.

(3) The fees payable for re-entry shall be equal to the amount of annual subscription for the year during which the name is re-entered in the register with the annual subscription for the year in which his name was removed.

(4) (a) The Council, on receipt of application for re-entry of name in the register where such name had been removed under clause (a) and (d) of section 11 of the Act, shall refer the matter to the disciplinary committee constituted under sub-section (1) of section 26 of the Act.

(b) The Council may, on receipt of the report of the disciplinary committee referred to in clause (a), if it is cleared by the disciplinary committee and on fulfilling of the conditions and payment of penalty imposed by the such committee, re-enter the name of such member in the register on payment of fee specified in sub-regulation(3).

FORM

[See regulations 4(1)]

Institute of Actuaries of India

REGISTER OF THE MEMBERS

Membership No.
Name: First, Middle, Surname
Gender: M/F
Date of Birth : DD/MM/YYYY
Residential Address:
Residence Communication Details: Tel: Fax: e-mail: Mobile;
Professional Address:
Professional Communication Details; Tel: Fax: e mail
Address for printing in the List of members : Residential / Professional
Address for communication: Residential / Professional
Membership Status: Fellow / Honorary Fellow/Associate
Other Qualifications :
Date of Admission as Member:
Date of admission to the current membership class:
Certificate of Practice valid up to

Area of Practice;	
Last subscription paid for the year: (YY-YY) e.g. 07-08	
Disciplinary action, if any, against the member:	
Nature of penalty;	**Date of imposition of penalty:**
Other details, if any.	

GURURAJ NAYAK, Administrative Officer

[ADVT. III/4/69-ZI/10/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.